

मदिरा दुकान के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (देशी शराब-5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा-5घ) के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र।

(मदिरा की फुटकर दुकान हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकते हैं)

(क) निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेंगे:-

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. आयु
4. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष...../...../.....
5. लिंग: पुरुष/महिला.....
6. स्थाई पता.....

आवेदक का
नवीनतम
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

मकान नम्बर.....
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
थाना/पटवारी पट्टी.....
तहसील/उप तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....
मोबाईल नम्बर

7. पैन नम्बर.....
8. आई०टी०आर० का विवरण
9. आधार कार्ड नम्बर
10. नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा दुकान का विवरण.....
11. जनपद.....



(ख) निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेंगे:-

1. सह आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. आयु
4. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष...../...../.....
5. लिंग:पुरुष/महिला.....
6. स्थाई पता.....

सह आवेदक
का नवीनतम
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

मकान नम्बर.....
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
थाना/पटवारी पट्टी.....
तहसील/उप तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....
मोबाईल नम्बर

7. पैन नम्बर.....
8. आई०टी०आर० का विवरण.....
9. आधार कार्ड नम्बर

- (i) दुकान का नाम.....
- (ii) दुकान का प्रकार.....
- (iii) कुल निर्धारित राजस्व जिसमें नवीनीकरण किया जाता है :-
वित्तीय वर्ष 2024-25 (अंको में).....(शब्दों में).....
- (iv) अनुज्ञापन शुल्क (वित्तीय वर्ष 2024-25) रुपये
(अंको में).....(शब्दों में).....
- (v) निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि (वित्तीय वर्ष 2024-25) रुपये (अंको में).....
(शब्दों में).....
- (vi) नवीनीकरण शुल्क (उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 के अनुसार रु०
(अंकों में).....(शब्दों में).....

10. जमा नवीनीकरण शुल्क जमा करने का विवरण- (चालान संख्या, तिथि व धनराशि का विवरण)

नोट - नवीनीकरण शुल्क अनुमोदन के उपरांत जमा किया जाएगा।

नवीनीकरण शुल्क इत्यादि का ब्यौरा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अंकित किया जाएगा।

11. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि पूर्व में जमा न की गई है।)

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)
आवेदक की प्रास्थिति

W

आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक पुत्र/पत्नी/पुत्री..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 11 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त करने व नवीनीकरण धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिन्न हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान नवीनीकरण हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में

नोट—

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।



(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....

निवासी.....

देशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन

(सी०एल०-5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (एफ०एल०-5घ).....

हेतु नवीनीकरण के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया।

दिनांक.....

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.....



उत्तराखण्ड आबकारी विभाग की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र
(100रुपये के Non Judicial Stamp पर)

आवेदक का नोटरी से
प्रमाणित नवीनतम
फोटोग्राफ प्रस्तुत
करना होगा

- यह कि शपथकर्ता..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
आयु..... अनुज्ञापन संख्या/देशी/विदेशी मदिरा दुकान
..... जनपद..... का वर्ष 2023- 24 हेतु अनुज्ञापी है।
पता वर्तमान निवास
मकान नम्बर..... नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
.....थाना/पटवारी पट्टी..... तहसील/उपतहसील.....
.....जिला.....
पता स्थाई निवास
मकान नम्बर..... नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
.....थाना/पटवारी पट्टी..... तहसील/उपतहसील.....
.....जिला..... शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :-
- यह कि शपथकर्ता ने सी0एल0-5सी (देशी शराब) एवं एफ0एल0-5डी (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकान जिला..... के अनुज्ञापन वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु नवीनीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 में दी गयी शर्तों के आधार पर सहमत हूँ।
- यह कि शपथकर्ता ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे नवीनीकृत की जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
- उक्त अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।
- यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है/उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है। आवेदक तहसील..... जिला..... का स्थाई निवासी है।
- यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है।
- यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हें आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
- यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी

W

- पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
8. यह कि शपथकर्ता को यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान नवीनीकृत की जाती है तो शपथकर्ता द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 में दिये गये समयान्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जमा कर देगा, यदि शपथकर्ता उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित दिवस के भीतर जमा नहीं कर पाया तो शपथकर्ता के जोखिम पर दुकान का नवीनीकरण निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
 9. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।
 10. यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपने उक्त अनुज्ञापन को वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा। यह कि शपथकर्ता के पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों व आबकारी नीति विषयक नियमावली - 2024 एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड़ साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।
 11. यह कि शपथकर्ता द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।
 12. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।
 13. यह कि शपथकर्ता द्वारा अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा।
 14. यह कि शपथकर्ता ने पात्रता से सम्बंधित समस्त दस्तावेज कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद..... में जमा करा दिए हैं।
 15. यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान का वर्ष 2023-24 के समस्त राजस्व को जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, आबकारी नीति 2024-25 के नियमों के अनुकूल अवशेष राजस्व जमा नहीं कराने की परिस्थिति में दुकान का निरस्तीकरण किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।
 16. यह कि शपथकर्ता वित्तीय वर्ष 2024-25 (31 मार्च 2025 तक) में निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन हेतु सहमत है और वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रख्यापित आबकारी नीति विषयक नियमावली -2024 अधिसूचना संख्या: 148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 दिनांक 21 फरवरी 2024 के अनुपालन में पूर्ण निष्ठा से दुकान/अनुज्ञापन का संचालन करेगा और नियमों के उल्लंघन एवं राजस्व सम्बन्धित अनियमितता नहीं करेगा जिससे कि अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।
 17. यह कि नियमानुसार निर्धारित समयसीमा में राजस्व/एम०जी०डी०, प्रतिभूतियों को समय से जमा नहीं करने के कारण दुकान निरस्त होने की दशा में जब्त कर ली जाए।
 18. यह कि शपथकर्ता संयुक्त प्रांत अधिनियम - 1910 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड राज्य) एवं सम्बन्धित नियमों, आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2024-25 को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय - समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। शपथकर्ता वर्ष 2023-24 की शेष अवधि एवं वर्ष 2024-25 में फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली का पालन करेगा और नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाए जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाए।
 19. यह कि शपथकर्ता 2024-25 हेतु निर्धारित नवीनीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फीस), निर्धारित वार्षिक राजस्व की जानकारी भली-भाँति प्राप्त कर ली है तथा उक्त के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।



20. यह कि शपथकर्ता अपने बैंक खाते से समस्त राजस्व जमा करेगा और भविष्य में यदि कोई त्रुटि के कारण भुगतान (यदि कोई हो तो) वह उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।
21. यह कि शपथकर्ता नवीनीकरण करने के उपरांत नवीनीकरण की औपचारिकताओं को निर्धारित समय में पूर्ण करेगा अन्यथा की स्थिति में दुकान का नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाए।

उपरोक्त क्रमांक 1 से लेकर 21 तक दी गयी सूचनाएँ सही एवं सत्य हैं, मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान.....

दिनांक..... समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान..... दिनांक.....

W

मदिरा दुकान के आवेदन पत्र का प्रारूप

(लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर हेतु)

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (देशी शराब -5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा-5घ) हेतु आवेदन पत्र।

(मदिरा की फुटकर दुकान हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकते हैं)

(क) निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेंगे:-

आवेदक का
नवीनतम्
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. आयु
4. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष...../...../.....
5. लिंग:पुरुष/महिला.....
6. स्थाई पता.....

मकान नम्बर.....
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
थाना/पटवारी पट्टी.....
तहसील/उप तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....
मोबाईल नम्बर

7. पैन नम्बर.....
8. आई०टी०आर० का विवरण
9. आधार कार्ड नम्बर
10. नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा दुकान का विवरण.....
11. जनपद.....

W

4) निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेंगे:-

1. सह आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. आयु
4. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष...../...../.....
5. लिंग:पुरुष/महिला.....
6. स्थाई पता.....

सह आवेदक
का नवीनतम
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

मकान नम्बर.....
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
थाना/पटवारी पट्टी.....
तहसील/उप तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....
मोबाईल नम्बर

7. पैन नम्बर.....
8. आई०टी०आर० का विवरण.....
9. आधार कार्ड नम्बर

- (i) दुकान का नाम.....
- (ii) दुकान का प्रकार.....
- (iii) कुल निर्धारित राजस्व जिसमें नवीनीकरण किया जाता है :-
वित्तीय वर्ष 2024-25 (अंको में).....(शब्दों में).....
- (iv) अनुज्ञापन शुल्क (वित्तीय वर्ष 2024-25) रुपये
(अंको में).....(शब्दों में).....
- (v) निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि (वित्तीय वर्ष 2024-25) रुपये (अंको में).....
.....(शब्दों में).....
- (vi) प्रक्रिया/प्रोसेसिंग शुल्क (उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2023 के अनुसार
रु० (अंकों में).....(शब्दों में).....

10. जमा नवीनीकरण शुल्क के बैंक ड्राफ्ट/जमा करने का विवरण- (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 21.02.2024 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे) :-
11. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि पूर्व में जमा न की गई है।)

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक पुत्र/पत्नी/पुत्री..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 11 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त करने व नवीनीकरण धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिन्न हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान नवीनीकरण हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में

नोट—

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।



(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....

.....निवासी..... देशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन

(सी०एल०-5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (एफ०एल०-5घ).....

.....हेतु नवीनीकरण के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024
में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया।

दिनांक.....

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.....



प्रारूप-2

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक की अवधि के लिए देशी मदिरा (देशी शराब-5ग)/विदेशी मदिरा व बियर (विदेशी मदिरा-5घ) के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन के आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप (लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
..... आयु वर्ष.....

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
.....थाना/पटवारी पट्टी.....
तहसील/उपतहसील.....जिला.....

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....जिला.....
.....शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :-

आवेदक का नोटरी से
प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ
प्रस्तुत करना होगा

1. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण ने सी0एल0-5सी (देशी शराब) व एफ0एल0-5डी (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकानथाना.....तहसील.....जिला..... के अनुज्ञान वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु आवेदन पत्र दिया है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
3. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण भारत का नागरिक है एवं उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है/हैं।
4. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है/हैं।
5. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकायेदार है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
6. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उस/उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
7. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण के पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों, आबकारी नीति विषयक नियमावली - 2024 एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है। (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।

W

- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण मदिरा दुकान आवंटन होने की दशा में अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतियों की धनराशि नियमानुसार समयान्तर्गत जमा करेगा/करेंगे।
9. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आबकारी नीति विषयक नियमावली - 2024 में निर्धारित समय अंतर्गत वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति जमा कर देगा।
 10. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हें आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
 11. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
 12. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।
 13. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आवंटन के तीस दिवस के भीतर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण करा लेगा/लेंगे।
 14. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को सेवायोजित नहीं करेगा/करेंगे।
 15. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा/करेंगे।
 16. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा/करेंगे।
 17. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन होने पर दुकान में बार कोड रीडर मशीन एवं स्वैप मशीन लगायेगा/लगायेंगे।
 18. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को आयकर विभाग द्वारा पैन संख्या..... एवं पैन संख्या..... आवंटित की गयी है/किया गया है।
 19. यह कि शपथकर्ता आयकर दाता है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आयकर विवरण की प्रति संलग्न की है।

यह कि प्रस्ताव-1 से 19 तक की विषय वस्तु एवं निविदा प्रपत्रों में दी गयी विषय वस्तु हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।
(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान.....

दिनांक.....समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक.....

W